भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
भारत सरकार /Government of India

सत्यमेव जयते

भादूविप्रा
TRAI

F. No.: RG-8/1/(9)/2021-B&CS **Dated: 3rd February, 2022**

Subject: Implementation plan - New Regulatory Framework 2020

Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) vide its letter of even number dated 10.11.2021, issued to broadcasters & DPOs directed them to submit compliance report on "Implementation plan- New Regulatory Framework 2020".

2. However, several representations have been received from the stakeholders requesting for extension of time limit for implementation of New Regulatory Framework 2020 as due to present COVID situation, as most of their staff were affected with Covid-19 and many were unable to attend the office due to guidelines issued by the state governments. Besides, their staff /linked local cable operators are finding it difficult to reach the COVID affected subscribers/areas for collection of choices etc.

3. Keeping in view the current pandemic situation across the country and requests received from stakeholders for extension of time for implementation of New Regulatory Framework 2020, it has been decided to extend the time limit for implementation of New Regulatory Framework 2020.

4. Therefore, all the Broadcasters shall report to the Authority, any change in name, nature, language, Maximum Retail Price (MRP) per month of channels, composition of bouquets and MRP of bouquets of channels as per the New Regulatory Framework 2020, by 28th February 2022 and simultaneously publish such information on their websites. The Broadcasters who have already submitted their RIOs in compliance of New Regulatory Framework may also revise their RIOs by 28th February 2022.

5. All the Distribution Platform Operators (DPOs) shall report to the Authority, Distributor Retail Price (DRP) of pay channels, composition of bouquet of pay channels /free-to-air channels and DRP of bouquets of pay channels, as per the New Regulatory Framework 2020 by 31st March 2022, and simultaneously publish such information on their websites. The DPOs who have already submitted their RIOs in compliance of New Regulatory Framework may also revise their RIOs by 31st March 2022.

6. Further, all Distributors of television channels shall ensure that with effect from 1st June 2022 services to the subscribers are provided as per the bouquets or channels opted by the subscribers.

ANIL KUMAR

(Anil Kumar Bhardwaj)
Advisor (B&CS)

To,

Broadcasters & DPOs

महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, Mahanagar Doorsanchar Bhawan, Jawahar Lal Nehru Marg
(पुराना मिन्टो रोड), नई दिल्ली / (Old Minto Road), New Delhi-110002
फैक्स/Fax : +91-11-23213294, ईपीबीएक्स नं0/EPBX No. : +91-11-23664145

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
भारत सरकार /Government of India

सत्यमेव जयते

भादूविप्रा
TRAI

फाइल. सं.: RG-8/1/(9)/2021-B&CS

दिनांक: 3rd फरवरी, 2022

विषय: कार्यान्वयन योजना - नया विनियामक ढांचा 2020

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने प्रसारकों और डीपीओ को जारी किए गए अपने समसंख्यक दिनांक 10.11.2021 के पत्र के माध्यम से उन्हें "कार्यान्वयन योजना-नया नियामक ढांचा 2020" पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

2. जबकि, नए नियामक ढांचे 2020 के कार्यान्वयन के लिए समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध करते हुए हितधारकों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, क्योंकि वर्तमान कोविड की स्थिति के कारण, उनके अधिकांश कर्मचारी कोविड -19 से प्रभावित थे और कई राज्य सरकारों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के कारण कार्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ थे। इसके अलावा, उनके कर्मचारी / संबद्ध स्थानीय केबल ऑपरेटर कोविड प्रभावित ग्राहकों/क्षेत्रों में ग्राहकों से विकल्प आदि लेने के लिए मुश्किल हो रहा है। ।

3. देश भर में वर्तमान महामारी की स्थिति और नए नियामक ढांचे 2020 के कार्यान्वयन के लिए समय सीमा बढ़ाने के लिए हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, नए नियामक ढांचे 2020 के कार्यान्वयन की समय सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

4 . इसलिए, सभी प्रसारक प्राधिकरण को 28 फरवरी 2022 तक नए नियामक ढांचे 2020 के अनुसार चैनलों के नाम, प्रकृति, भाषा, अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) प्रति माह, चैनलों के बुके और चैनलों के बुके के एमआरपी में किसी भी बदलाव की रिपोर्ट करेंगे और साथ ही इस तरह की जानकारी को अपनी वेबसाइटों पर प्रकाशित करें। जिन प्रसारकों ने नए नियामक ढांचे के अनुपालन में अपने रेफरेन्स इंटरकनेक्ट ऑफर (आरआईओ) को पहले ही जमा कर दिया है, वे भी 28 फरवरी 2022 तक अपने रेफरेन्स इंटरकनेक्ट ऑफर (आरआईओ) को संशोधित कर सकते हैं।

5. सभी वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटर (डीपीओ) नए विनियामक ढांचे 2020 के अनुसार 31 मार्च 2022 तक पे चैनलों के वितरक खुदरा मूल्य (डीआरपी), पे चैनलों के बुके की संरचना / फ्री-टू-एयर चैनल और पे चैनलों के बुके के डीआरपी के बारें में प्राधिकरण को रिपोर्ट करेंगे, और साथ ही इस तरह की जानकारी को अपनी वेबसाइटों पर प्रकाशित करेंगे। जिन वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटर (डीपीओ) ने नए नियामक ढांचे के अनुपालन में अपने रेफरेन्स इंटरकनेक्ट ऑफर (आरआईओ) को पहले ही जमा कर दिया है, वे भी 31st मार्च 2022 तक अपने रेफरेन्स इंटरकनेक्ट ऑफर (आरआईओ) को संशोधित कर सकते हैं।

6. इसके अलावा, टेलीविजन चैनलों के सभी वितरकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि 1 जून 2022 से ग्राहकों को उनके द्वारा चुने गए बुके या चैनलों के अनुसार सेवाएं प्रदान की जाएं।

ANIL KUMAR

Digitally signed by ANIL KUMAR
DN: c=IN, o=TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA, ou=TRAI, postalCode=110002, st=DELHI, 2.5.4.20=[illegible], pseudonym=[illegible], serialNumber=[illegible], cn=ANIL KUMAR
Date: 2022.02.03 15:35:13 +05'30'

(अनिल कुमार भारद्वाज)
सलाहकार (बी एंड सीएस)

प्रति

प्रसारकों और डीपीओ

महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, Mahanagar Doorsanchar Bhawan, Jawahar Lal Nehru Marg
(पुराना मिन्टो रोड), नई दिल्ली / (Old Minto Road), New Delhi-110002
फैक्स/Fax : +91-11-23213294, ईपीबीएक्स नं0/EPBX No. : +91-11-23664145